

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

2 गुमानिया वाला, पंचवटी, उदयपुर (राज.) 313001

क्रमांक प.23(1)आब/लेखा/2017/1787

दिनांक: 15.03.2017

भाग समूहों हेतु निविदा सूचना

राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 तथा उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 हेतु निम्नलिखित पड़त रहे (unlifted) रहे 5 भाग समूहों के लिए भाग के थोक एवं खुदरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र (Licence) स्वीकृत करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र. सं.	राजस्व जिला	भाग खुदरा समूह का नाम	समूह में दूकानों की संख्या	आरक्षित राशि (लाख रु. में)	10 प्रतिशत अमानत राशि (लाख रु. में)
1	जयपुर	जयपुर	65	488.66	48.87
2	गंगानगर-हनुमानगढ	गंगानगर-हनुमानगढ	8	8.81	0.89
3	बांरा	बांरा	36	179.03	17.91
4	कोटा	कोटा	55	539.97	54.00
5	पाली	पाली	30	34.35	3.44

मुख्य शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- निविदादाता द्वारा एक से अधिक समूह के लिए भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है, परन्तु प्रत्येक समूह के लिए पृथक पृथक निविदा प्रपत्र पर निविदा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। निविदा में प्रस्तावित समूह का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जावे।
- प्रस्तावित समूह के लिए निविदा प्रपत्र में वही राशि अंकित की जावे, जो निविदादाता दिनांक 1.4.2017 से 31.3.2018 तक की अवधि के लिए अनुज्ञाफीस के रूप में देना चाहता है। यह राशि आरक्षित राशि से कम नहीं होनी चाहिए।
- भाग समूहों हेतु आरक्षित राशि के 10 प्रतिशत के बराबर अमानत राशि (earnest money) निविदा के साथ देय होगी। यह राशि निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों के अनुसार आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के पक्ष में ट्रेजरी चालान द्वारा राजकोष में जमा करानी होगी अथवा आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के पक्ष में उदयपुर में देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में भी प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा के साथ वांछित अमानत राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा के संबंध में अन्य सभी शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तें तथा अनुज्ञापत्रों की शर्तों के अनुसार होगी। निविदादाता द्वारा प्रस्तावित किसी प्रकार की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
- निविदा प्रलेख विभागीय वेबसाईट <https://www.rajexcise.gov.in> से डाउनलोड किया जाकर निविदा शुल्क राशि रूपये 1000/- (एक हजार मात्र.) जरिये बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करवाने होंगे।
- इच्छुक व्यक्ति अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र में बन्द लिफाफे में दिनांक **21.03.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे तक** कार्यालय आबकारी आयुक्त, 2-गुमानियावाला, पंचवटी, उदयपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। फैक्स अथवा अन्य किसी प्रकार से प्रस्तुत निविदा मान्य नहीं होगी। प्राप्त निविदाएं उसी दिन **अपरान्ह 4.00 बजे** उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। आबकारी आयुक्त को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Sd/-

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर